

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री राजेश जोशी

आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

110/अपील/2018

05.12.2018

09.09.2019

भवंर लाल आ. बजरंग लाल जाति किराड निवासी ग्राम सांवतगढ़  
तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राजस्थान) - अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)  
- रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 27.10.2016

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री सुनील गौतम, अभिभाषक।  
रेस्पोंडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार।

-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 08 बीघा, किस्म चरागाह वाके ग्राम सांवतगढ़ तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत फसल जप्ती से बेदखली, पैनाल्टी 800/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना भौतिक सत्यापन किये निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट का कोई विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। पूर्व में कभी कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ

अति० जिला कलक्टर

बून्दी (राज०)

न्यायालय द्वारा अपीलान्त को द्वितीय अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है जबकि अपीलान्त का कोई पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं है। पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये जाकर अपीलान्त को 90 दिवस की कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अपीलान्त बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत् नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलान्त निर्णय व पटवारी रिपोर्ट व बयान में अंकित है तथा गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय व फर्द भौतिक रूप से बेदखल किये गये कि प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्त पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्त ने चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 09.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज०)